



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 13, 2010/फाल्गुन 22, 1931

No. 70]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 13, 2010/PHALGUNA 22, 1931

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

[तकनीकी संस्थाओं (डिग्री) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए वेतनमान, सेवा शर्तों और अर्हताएं विनियम, 2010]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2010

फा. सं. 37-3/विधि/2010.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10 (i) और (v) के साथ पठित धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् निम्न विनियम बनाती है :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता एवं आरंभ :

1.1 इन विनियमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् [तकनीकी संस्थाओं (डिग्री) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए वेतनमान, सेवा शर्तों और अर्हताएं] विनियम, 2010 कहा जाएगा ।

1.2 ये उन तकनीकी संस्थाओं तथा मानित विश्वविद्यालयों सहित उन विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे जो तकनीकी शिक्षा तथा ऐसे अन्य पाठ्यक्रम/कार्यक्रम और विषय-क्षेत्र संचालित कर रही हैं जैसेकि परिषद् द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं ।

ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

सामान्य :

(i) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों के संबंध में केवल तीन पदनाम होंगे, अर्थात् सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर । तथापि, विभिन्न स्तरों पर पुस्तकालय कार्मिकों के संबंध में वर्तमान पदनामों में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

(ii) प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने, प्रोन्नत होने अथवा पदनामित होने के लिए कोई भी तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक वह पी.एच.डी. धारण नहीं कर लेता है तथा अभातिशय द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य शैक्षणिक शर्तों की पूर्ति नहीं करता है । तथापि, यह बात उन व्यक्तियों को प्रभावित नहीं करेगी जिन्हें पहले ही 'प्रोफेसर' के रूप में पदनामित किया गया है ।

(iii) तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों तथा समकक्ष पदों के वेतन उनके पदनामों के अनुरूप उपयुक्त "शैक्षणिक ग्रेड वेतन" (संक्षेप में एजीपी) के साथ 15600-39100 रु. तथा 37400-67000 रु. के दो वेतन बैंडों में निर्धारित किए जाएंगे । प्रत्येक वेतन बैंड में शैक्षणिक ग्रेड वेतन की विभिन्न अवस्थाएं होंगी जो यह सुनिश्चित करेंगी कि इस स्कीम के अधीन शामिल शिक्षकों तथा अन्य समकक्ष संवर्गों के पास, अर्हता की अन्य शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन, उनके कैरियर के दौरान ऊर्ध्ववर्ती संचलन के अनेक अवसर उपलब्ध हैं ।

(iv) प्रोफेसर्स के पद स्नातकपूर्व (यूजी) तथा साथ ही स्नातकोत्तर (पीजी) संस्थाओं में सृजित किए जाएंगे । किसी यूजी कॉलेज में प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर से सहायक प्रोफेसर का अनुपात सामान्यतः 1:2:6 के अनुपात में होगा । किसी पीजी कॉलेज में प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर और/अथवा सहायक प्रोफेसर का अनुपात सामान्यतः 1:2 के अनुपात में होगा ।

(v) तकनीकी संस्थाओं में प्रोफेसरों के 10 प्रतिशत तक पद 12000 रु के उच्च शैक्षणिक ग्रेड वेतन में होंगे जिनके लिए अभातशिप द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली पात्रता शर्तें लागू होंगी।

शिक्षकों तथा समकक्ष पदों के लिए संशोधित वेतन मान, सेवा शर्तें तथा कैरियर संवर्धन स्कीम:

शिक्षकों तथा समकक्ष पदों की विभिन्न श्रेणियों के लिए वेतन संरचना नीचे दर्शाए गए अनुसार होगी:

(क) तकनीकी संस्थाओं में सहायक प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर

(i) तकनीकी संस्थाओं में शिक्षण कार्य में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को सहायक प्रोफेसर के रूप में पदनामित किया जाएगा तथा उन्हें 6000 रु के एजीपी के साथ 15600-39100 रु के वेतन बैंड में रखा जाएगा। 8000-13500 रु के पूर्व-संशोधित वेतन मान में पहले ही सेवारत व्याख्याताओं को उक्त 6000 रु के एजीपी के साथ सहायक प्रोफेसर के रूप में पुनःपदनामित किया जाएगा।

(ii) 4 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने वाला सहायक प्रोफेसर, जिसके पास प्रासंगिक शाखा/विषय-क्षेत्र में पीएच.डी. डिग्री धारित हो, 7000 रु के एजीपी में रखे जाने के लिए पात्र होगा।

(iii) प्रासंगिक शाखा/विषय-क्षेत्र में, जैसाकि तकनीकी शिक्षा के लिए परिभाषित है, निष्णात डिग्री धारण करने वाला सहायक प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर के रूप में 5 वर्ष की सेवा पूरी करने में उपरांत 7000 रु के एजीपी के लिए पात्र होगा।

(iv) ऐसा सहायक प्रोफेसर, जिसके पास किसी कार्यक्रम की प्रासंगिक शाखा/विषय-क्षेत्र में पीएच.डी. अथवा निष्णात डिग्री नहीं है, सहायक प्रोफेसर के रूप में 6 वर्ष की सेवा पूरी करने के उपरांत ही 7000 रु के एजीपी के लिए पात्र होगा।

(v) सभी सहायक प्रोफेसरों के लिए 6000 रु के एजीपी से 7000 रु के एजीपी में ऊर्ध्ववर्ती संचलन उनके अभातशिप द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों की पूर्ति के अध्वधीन होगा।

(vi) व्याख्याता (वरिष्ठ मान) के पदों के पदधारियों के वेतन (अर्थात् 10000-15200 रु का पूर्व-संशोधित मान) को सहायक प्रोफेसर के रूप में पुनःपदनामित किया जाएगा तथा उसे उनके वर्तमान वेतन के आधार पर 15600-39100 रु के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था पर निर्धारित किया जाएगा, जिसका एजीपी 7000 रु होगा।

(vii) 7000 रु के एजीपी के साथ 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले सहायक प्रोफेसर, अभातशिप द्वारा निर्धारित अन्य अपेक्षाओं के अध्वधीन, 8000 रु के एजीपी में जाने के लिए पात्र होंगे।

(viii) एसोसिएट प्रोफेसरों के पद 9000 रु० के एजीपी के साथ 37400—67000 रु० के वेतन बैंड में होंगे। सीधे भर्ती हुए एसोसिएट प्रोफेसरों को 9000 रु० के एजीपी के साथ 37400—67000 रु० के वेतन बैंड में नियुक्ति की शर्तों के निबंधनों के अनुसार उपयुक्त अवस्था में रखा जाएगा।

(ix) पदधारी सहायक प्रोफेसर तथा पदधारी व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) जिन्होंने 12000—18300 रु० के पूर्व-संशोधित वेतनमान में 1.1.2006 को 3 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, 9000 रु० के एजीपी के साथ 37400—67000 रु० के वेतन बैंड में रखे जाएंगे तथा उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदनामित किया जाएगा।

(x) पदधारी सहायक प्रोफेसर तथा पदधारी व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) जिन्होंने 1.1.2006 को 12000—18300 रु० के वेतन मान में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है, उस समय तक 8000 रु० के एजीपी के साथ 15600—39100 रु० के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था पर रखे जाएंगे, जब तक वे व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं कर लेते, तथा उसके पश्चात उन्हें 37400—67000 रु० के उच्च वेतन बैंड में रखा जाएगा तथा तदनुसार सहायक प्रोफेसर पदनामित किया जाएगा।

(xi) वर्तमान में सेवारत व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) को तब तक, यथास्थिति, व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) के रूप में पदनामित किया जाना जारी रहेगा, जब तक वे 37400—67000 रु० के वेतन बैंड में नहीं रखे जाते हैं तथा उपर्युक्त (x) में वर्णित रीति से सहायक प्रोफेसर के रूप में पुनः पदनामित नहीं किया जाते हैं।

(xii) 8000 रु० के एजीपी के साथ शिक्षण के 3 वर्ष पूर्ण करने वाले सहायक प्रोफेसर, अभातशिप द्वारा यथानिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अध्यक्षीन, 9000 रु० के एजीपी के साथ 37400—67000 रु० के वेतन बैंड में रखे जाने तथा एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पुनः पदनामित किए जाने के पात्र होंगे।

(xiii) 9000 रु० के एजीपी में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले तथा प्रासंगिक विषय-क्षेत्र में पीएच.डी. धारण करने वाले एसोसिएट प्रोफेसर अभातशिप द्वारा यथानिर्दिष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन की अन्य शर्तों के अध्यक्षीन प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए जाने तथा पदनामित किए जाने के पात्र होंगे। पीएच.डी. धारण करने वालों के अलावा कोई अन्य शिक्षक प्रोफेसर के रूप में प्रोन्नत, नियुक्त अथवा पदनामित नहीं किया जाएगा। प्रोफेसर के पद के लिए वेतन बैंड 10000 रु० के एजीपी के साथ 37400—67000 रु० होगा।

(xiv) सीधे भर्ती हुए प्रोफेसर का वेतन 37400—67000 रु० के वेतन बैंड में 43000 रु० से अन्यून अवस्था में नियत किया जाएगा, जिसमें लागू एजीपी 10000 रु० होगी।

(xv) अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में प्रोफेसरों के दस प्रतिशत पद 12000 रु० के उच्च एजीपी में होंगे, तथापि, पदों पर नियुक्त शिक्षक प्रोफेसर के रूप में पदनामित रहना जारी रहेंगे। उच्च शैक्षणिक ग्रेड वेतन में प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए अर्हता अभातशिप द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार होगी तथा ऐसी अर्हता शर्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ, समकक्ष पुनरीक्षा/संदर्भित शोध जर्नलों में प्रकाशन कार्य शामिल होगा तथा प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष के शिक्षण और उच्च स्तर के पोस्ट-डॉक्टोरल कार्य की अपेक्षा भी शामिल होगी। 12000 रु० की एजीपी में

पाठ्यक्रम के रूप में सीधी भर्ती हुए किसी भी व्यक्ति को एजीपी के साथ 48000 रु० से कम की अवस्था पर नियत नहीं किया जाएगा।

(xvi) एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के स्तर पर प्रारंभिक सीधी-भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं शोध अपेक्षाओं के संबंध में पात्रता शर्तें वे होंगी, जो अभातशिप द्वारा विनियमों के माध्यम से निर्दिष्ट की जाएं अथवा निर्दिष्ट की गई हैं तथा अभातशिप द्वारा निर्धारित की गई हैं।

(xvii) ऐसे व्यक्तियों के लिए, जो उच्चतर योग्यता, शोध प्रकाशनों की उच्च संख्या तथा उपयुक्त स्तर पर अनुभव के साथ एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रूप में व्यवसाय में प्रवेश करते हैं, अग्रिम वेतन-वृद्धियों का विवेकपूर्ण रूप से प्रदान किया जाना संबंधित विश्वविद्यालय तथा नियोजन संस्था के उपयुक्त प्राधिकारी की समक्षता के अधीन होगा जिसके लिए संकाय में अन्य शिक्षकों की वेतन संरचना तथा अन्य विशिष्ट कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले के गुणागुण के संदर्भ में वैयक्तिक उम्मीदवारों के साथ बातचीत की जाएगी।

(xviii) विभिन्न संवर्गों में उच्चतर ग्रेड वेतन में सभी संवर्धन अभातशिप अनुमोदित दो सप्ताह प्रत्येक से अन्यून दो पुनश्चर्या कार्यक्रमों तथा एक सप्ताह प्रत्येक के दो टीईक्यूआईपी प्रायोजित कार्यक्रमों की समाप्ति के अध्यक्षीन प्रभावी किए जाएंगे।

कॉलेजों में प्राचार्यों/निदेशकों के वेतन मान:

तकनीकी संस्थाओं में प्राचार्यों के पदों के लिए नियुक्तियां अभातशिप द्वारा समय-समय पर निर्धारित शैक्षणिक अर्हताओं और शिक्षण/शोध अनुभव के संबंध में अर्हता शर्तों के आधार पर होगी, तथा प्राचार्य का पद 10,000 रु० के एजीपी के साथ 37400-67000 रु० के वेतन बैंड में होगा, जिसमें 2000 रु० प्रतिमाह का विशेष भत्ता भी शामिल होगा। सेवारत सभी प्राचार्यों को 10000 रु० के एजीपी के साथ वेतन बैंड में उपयुक्ततः नियत किया जाएगा तथा उन्हें 3000 रु० प्रतिमाह के विशेष भत्ता भी दिया जाएगा।

पुस्तकालयाध्यक्षों आदि के लिए वेतन मान तथा कैरियर संवर्धन स्कीम

सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष:

(i) 8000-13500 रु० के पूर्व-संशोधित वेतन मान वाले सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष को 6000 रु० के एजीपी के साथ 15600-39100 रु० के वेतन बैंड में रखा जाएगा।

(ii) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष की सीधी भर्ती के लिए अभातशिप द्वारा निर्धारित पात्रता तथा शैक्षणिक योग्यताओं की सभी शर्तें लागू होंगी।

सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान):

(i) 10000-15200 रु० के पूर्व-संशोधित वेतन मान में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान) के पदों को 7000 रु० के एजीपी के साथ 15600-39100 रु० के वेतन बैंड में रखा जाएगा।

(ii) प्रवेश स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान में पीएच.डी. धारण करने वाले सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष, 6000 रु० के एजीपी में 4 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत, तथा अभातशिप द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र होने पर, 15600-39100 रु० के वेतन बैंड में 7000 रु० के उच्च एजीपी के लिए पात्र होंगे।

(iii) प्रवेश स्तर पर पीएच.डी. धारण न करने वाले परंतु पुस्तकालय विज्ञान में केवल एम.फिल रखने वाले सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष, 6000 रु० के एजीपी में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत, तथा अभातशिप द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र होने पर, 7000 रु० के उच्च एजीपी के लिए पात्र बन जाएंगे।

(iv) 6000 रु० के एजीपी में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत प्रासंगिक पीएच.डी. और एम.फिल न धारण करने वाले सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष, यदि अभातशिप द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र होने पर, 7000 रु० के उच्च एजीपी में चले जाएंगे।

(v) 10000-15000 रु० के पूर्व-संशोधित वेतन मान में विद्यमान सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान) का वेतन उनके वर्तमान वेतन के आधार पर 7000 रु० के एजीपी के साथ 15600-39100 रु० के वेतन मान में उपयुक्त अवस्था में नियत किया जाएगा।

उप-पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड)

(i) उप-पुस्तकालयाध्यक्ष, जो सीधी भर्ती पर आए हैं, भर्ती के समय प्रारंभिक रूप से 8000 रु० के एजीपी के साथ 15600-39100 रु० के वेतन बैंड में रखे जाएंगे।

(ii) 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान); उनके द्वारा अभातशिप द्वारा यथानिर्धारित पात्रता की अन्य शर्तों के पूरा करने पर (जैसे उप-पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए पीएच.डी. डिग्री अथवा समकक्ष प्रकाशित कार्य आदि), 8000 रु० के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ 15600-39100 रु० के वेतन बैंड में उप-पुस्तकालयाध्यक्ष के पद/समकक्ष पद के लिए पात्र होंगे। उन्हें, यथास्थिति, उप-पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड) पदनाम दिया जाएगा।

(iii) उप-पुस्तकालयाध्यक्ष के पद तथा उसके समकक्ष पदों के लिए प्रोन्नति के संबंध में प्रवरण ग्रेड समिति द्वारा चयन की विद्यमान प्रक्रिया जारी रहेगी।

762 GI/10-2

(iv) के एजीपी के साथ 15600-39100 रु० के वेतन बैंड में 3 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् उप-पुस्तकालयाध्यक्ष/समकक्ष पद अभातशिप द्वारा निर्दिष्ट पात्रता की अन्य शर्तों की पूर्ति के अध्यायन 9000 रु० के एजीपी तथा 37400-67000 रु० के वेतन बैंड में चले जाएंगे।

(v) 7000 रु० के एजीपी में विश्वविद्यालयों में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान) भी, जिनके पास पुस्तकालय विज्ञान में पीएच.डी. अथवा समकक्ष प्रकाशित कार्य नहीं है, परंतु जो अभातशिप द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य मानदण्डों को पूरा करते हैं, 8000 रु० के एजीपी में रखे जाने के लिए पात्र होंगे।

(vi) उप-पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड) के पदों के पदधारी, जिन्होंने 1.1.2006 को 12000-18300 के पूर्व-संशोधित वेतन मान में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, 9000 रु० के एजीपी के साथ 37400-67000 रु० के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था में नियत किए जाएंगे। उन्हें उप-पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड) के रूप में कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड) पदनामित किया जाना जारी रहेगा।

(vii) उप-पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड) के पदों के पदधारक, जिन्होंने 37400-57000 रु० के उच्च वेतन बैंड में रखे जाने के लिए पात्र होने के लिए 12000-18300 रु० के पूर्व-संशोधित वेतनमान में तीन वर्ष की आवश्यकता को पूरा नहीं किया है, उप-पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड) के रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होने तक 8000 रु० के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ उपयुक्त अवस्था में रखे जाएंगे।

(viii) सीधे भर्ती हुए उप-पुस्तकालयाध्यक्षों के संबंध में वेतन 8000 रु० के एजीपी के साथ 15600-39100 रु० के वेतन बैंड में प्रारंभिक रूप से नियत किया जाएगा। वे 8000 रु० के एजीपी में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् 9000 रु० के एजीपी के साथ 37400-67000 रु० के वेतनमान में चले जाएंगे।

(ix) अभातशिप द्वारा निर्दिष्ट पात्रता की विद्यमान शर्तें तथा शैक्षणिक योग्यताएं उप-पुस्तकालयाध्यक्ष के पद हेतु सीधी भर्ती के लिए लागू रहना जारी रहेंगी।

शारीरिक शिक्षा कार्मिकों के लिए वेतन मान तथा कैरियर संवर्धन स्कीम:

(क) सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (सहायक डीपीई)/कॉलेज शारीरिक शिक्षा निदेशक (कॉलेज डीपीई)

(i) 8000-13000 रु० के पूर्व-संशोधित वेतनमान में सहायक शारीरिक निदेशक/कॉलेज डीपीई को 6000 रु० की एजीपी के साथ 15600-39100 रु० के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था पर नियत किया जाएगा।

(ii) पदधारी सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक/कॉलेज डीपीई का वेतन छठे केंद्रीय वेतन आयोग के 'नियतन सूत्र' के अनुरूप, 6000 रु० के एजीपी के साथ 15600-39100 रु० के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था पर नियत किया जाएगा।

(iii) अभातशिप द्वारा निर्धारित पात्रता तथा शैक्षणिक अर्हताओं की समस्त विद्यमान शर्तें सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक/कॉलेज डीपीई की सीधी भर्ती के लिए लागू रहना जारी रहेंगी।

(ख) सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरिष्ठ मान)/कॉलेज डीपीई (वरिष्ठ मान)

(i) 10000-15200 रु० के पूर्व-संशोधित वेतनमान में सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरिष्ठ मान)/कॉलेज डीपीई (वरिष्ठ मान) को 7000 रु० के एजीपी के साथ 15600-39100 रु० के वेतन बैंड में रखा जाएगा।

(ii) 6000 रु० के एजीपी में सहायक डीपीई/कॉलेज डीपीई के प्रवेश स्तर पर शारीरिक शिक्षा में पीएच.डी. धारण करने वाले सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरिष्ठ मान)/कॉलेज डीपीई (वरिष्ठ मान) को, 6000 रु० के एजीपी में चार वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात तथा अभातशिप द्वारा निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र होने पर, 15600-39100 रु० के वेतन बैंड में 7000 रु० के उच्च एजीपी में चले जाएंगे।

(iii) 6000 रु० के एजीपी में सहायक डीपीई/कॉलेज डीपीई के प्रवेश स्तर पर शारीरिक शिक्षा में एम. फिल धारण करने वाले सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरिष्ठ मान)/कॉलेज डीपीई (वरिष्ठ मान) 6000 रु० के एजीपी में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात, 7000 रु० के उच्च एजीपी के लिए पात्र होंगे।

(iv) प्रासंगिक पीएच.डी. तथा एम.फिल न रखने वाले सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक/कॉलेज डीपीई, 6000 रु० के एजीपी में सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक/कॉलेज डीपीई के रूप में छह वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात, तथा अभातशिप द्वारा निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र होने पर, 7000 रु० के एजीपी में रखे जाने के लिए पात्र होंगे।

(v) पदधारक सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरिष्ठ मान)/कॉलेज डीपीई (वरिष्ठ मान) का वेतन छठे केंद्रीय वेतन आयोग के 'नियतन सूत्र' के अनुसार 7000 रु० के एजीपी में 15600-39100 रु० के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था में नियत किया जाएगा।

(ग) उप-शारीरिक शिक्षा निदेशक/सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज शारीरिक शिक्षा निदेशक (प्रवरण ग्रेड)

(i) 7000 रु० के एजीपी के साथ 15600-39100 रु० के वेतन बैंड में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात तथा अभातशिप द्वारा निर्धारित अन्य पात्रता शर्तों की संतुष्टि के अध्यक्षीन, सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरिष्ठ मान)/कॉलेज डीपीई (वरिष्ठ मान) 15600-39100 रु० के वेतन बैंड में 8000 रु० के एजीपी में चले जाएंगे। उन्हें, यथास्थिति, उप-शारीरिक शिक्षा निदेशक/सहायक डीपीई (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज डीपीई (प्रवरण ग्रेड) के रूप में पदनामित किया जाएगा।

(ii) 8000 रु० के एजीपी तथा 15600—39100 रु० के वेतन बैंड में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात तथा अभाताशेष द्वारा निर्धारित पात्रता के अधीन, उप-डीपीई/सहायक डीपीई (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज डीपीई (प्रवरण ग्रेड), 9000 रु० के एजीपी के साथ 37400—67000 रु० के वेतन बैंड में चले जाएंगे। उन्हें उप-डीपीई/सहायक डीपीई (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज डीपीई (प्रवरण ग्रेड) के रूप में पदनामित किया जाना जारी रहेगा।

(iii) उप-डीपीई/सहायक डीपीई (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज डीपीई (प्रवरण ग्रेड) के पद के सभी पदधारी, जिन्होंने 1.1.2006 को गैर-संशोधित 12000—18300 के वेतन मान में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, 9000 रु० के एजीपी के साथ 37400—67000 रु० के वेतन बैंड में नियतन किए जाने के पात्र होंगे।

(iv) उप-डीपीई/सहायक डीपीई (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज डीपीई (प्रवरण ग्रेड) के पद के सभी पदधारी, जिनकी सेवा गैर-संशोधित वेतनमान 12000—18300 रु० में तीन वर्ष से कम होती है, जोकि उन्हें उच्च वेतन बैंड में जाने के लिए पात्र बना देती, गैर-संशोधित वेतन मान में उप-डीपीई/एडीपीई (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज डीपीई (प्रवरण ग्रेड) के रूप में तीन वर्ष की अपेक्षित सेवा पूर्ण कर लेने तक 15600—39100 रु० के वेतन बैंड में 8000 रु० के एजीपी पर उपयुक्त अवस्था में रखे जाएंगे।

(v) सीधे भर्ती हुए उप-डीपीई का वेतन आरंभिक तौर पर 15600—39100 रु० के वेतन बैंड में 8000 रु० के एजीपी के साथ नियत किया जाएगा, तथा 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, सीधे भर्ती हुए उप-डीपीई और समकक्ष पदधारक, 9000 रु० के एजीपी के साथ 37400—67000 रु० के वेतन बैंड में चले जाएंगे।

पीएच.डी./एम.टैक तथा अन्य उच्च योग्यताओं के लिए प्रोत्साहन:

(i) यूजीसी द्वारा यथानिर्दिष्ट पंजीकरण, पाठ्यक्रम-कार्य तथा बाह्य मूल्यांकन की प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रासंगिक विषय-क्षेत्र में प्रदान की गई पीएच.डी. की डिग्री धारण करने वाले व्यक्ति को नियुक्ति के प्रवेश स्तर पर पांच गैर-चक्रवर्ती अग्रिम वेतन-वृद्धियां अनुमेय होंगी।

(ii) व्याख्यता के पद पर नियुक्ति के समय एम.फिल. डिग्रीधारक दो गैर-चक्रवर्ती अग्रिम वेतन-वृद्धियों के पात्र होंगे।

(iii) किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में, जैसे किसी सांविधिक विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त प्रासंगिक शाखा/विषय-क्षेत्र में एम.टैक, स्नातकोत्तर डिग्री धारण करने वाले भी प्रवेश स्तर पर दो गैर-चक्रवर्ती अग्रिम वेतन-वृद्धियों के पात्र होंगे।

(iv) ऐसे अध्यापक, जो सेवा में रहते हुए अपनी पीएच.डी. डिग्री पूरी करते हैं, तीन गैर-चक्रवर्ती वेतन-वृद्धियों के लिए पात्र होंगे, यदि ऐसी पीएच.डी. प्रासंगिक शाखा/विषय-क्षेत्र में है तथा किसी विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन, पाठ्यक्रम-कार्य एवं मूल्यांकन आदि के लिए यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए प्रदान की गई है।

